

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 528]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1972/ पौष 7, 1894

No 528]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1972/PAUSA 7, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1972

S.O. 766(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the International Airports Authority Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Fees and allowances payable to the members rendering part-time service.**—Every member, other than the Chairman, a whole-time Member and a whole-time servant of the Central Government, being a part-time member shall be paid fees and allowances as under:—

(a) **Sitting Fee.**—A sitting fee of Rs. 100 per day for the day or days of actual meetings of the Authority or the meetings of its Committees, if any;

(b) **Halting allowance.**—When meetings are held outside his residential town, a halting allowance of Rs. 50 per day for each day or days of the actual meetings of the Authority or the meetings of its Committees, if any;

- (c) *Travelling allowance*.—Free travel by air or by rail in first class or A.C.C. wherever available from the place of residence and back and in the case of journeys by road, actual expenses limited to first class rail fare for the distance travelled.

3. Travelling and daily allowances of members who are servants of Central Government.—Every member who is a whole-time servant of the Central Government shall be entitled to initially receive travelling allowances and daily allowances from the same source from which such officer draws his salary at the rates admissible to him according to the rules of the Central Government.

Provided that the Authority shall make necessary arrangements for the reimbursement to the Central Government of the amount so paid to the member.

4. Period of notice for termination or resignation.—(a) A member may resign his office by giving notice in writing of not less than thirty days to the Central Government.

(b) The Central Government may terminate the appointment of any part-time member who is not a servant of the Government after giving notice of not less than thirty days.

5. Appointment of officers and employees.—(1) The Authority may appoint such officers and other employees as it deem fit on contract for a specific period or by direct recruitment or by promotion or officers employed by the Authority or by deputation of officers serving under the Central Government or any State Government:

Provided that no person who has attained the age of 58 years shall be appointed to any post carrying a basic pay of Rs. 2,500 per month and above except with the previous approval of the Central Government.

(2) Officers appointed to any posts by promotion by the Authority shall be entitled to the same scales of pay as those prescribed for such posts and shall continue to be governed by the conditions of service laid down from time to time in the regulations of the Authority.

(3) Officers recruited directly to any posts by the Authority shall also be governed by the same scales of pay and other conditions of service as those applicable to the officers promoted to such posts by the Authority.

6. Investment of funds.—The Authority may invest its funds (including reserve fund) in the securities of the Central Government or in such manner as the Central Government may direct from time to time.

[No. AV-24013/3/71-AA].

N. KHOSLA, Jt. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1972

का० आ० 766 (अ) — अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकारी अधिनियम, 1971 (1972 का 43) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इस नियम का नाम, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकारी नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंशकालिक सेवा करने वाले सदस्यों को देय फीम व भत्ते.—अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य तथा पूर्णकालिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य प्रत्येक सदस्य को अंशकालिक सदस्य होने के नाते निम्नलिखित शुल्क तथा भत्ते दिये जायेंगे :

- (क) बैठक फीम.—प्राधिकारी या उसकी समितियों, यदि कोई हो, की वार्षिक बैठकों के दिन या दिनों के लिए प्रतिदिन 100/— रुपये की बैठक फीम ;
- (ख) विराम भत्ता.—जब बैठक सदस्य के निवास के शहर से भिन्न किसी स्थान पर हों तो प्राधिकारी या उसकी समितियों, यदि कोई हों, की वास्तविक बैठकों के दिन या दिनों के लिए प्रतिदिन 50/— रुपये का विराम भत्ता ;
- (ग) यात्रा भत्ता.—निवास स्थान को बैठक स्थान तक तथा वापसी के लिए विमान द्वारा, या रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में या जहाँ कहीं वातानुकूलित कोच उपलब्ध हों, उसके द्वारा, निःशुल्क यात्रा और सड़क द्वारा यात्रा की हालत में, तब की गई दूरी के लिए वास्तविक व्यय, जोकि रेल के प्रथम श्रेणी के भाड़े तक समिति होगा ।

3. ऐसे सदस्यों के, जो कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, यात्रा तथा दैनिक भत्ते.—ऐसा हर सदस्य, जोकि पूर्णकालिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, प्रथमतः, केन्द्रीय सरकार नियमों के अनुसार ग्राह्य दरों पर, ऐसे खोत से यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जहाँ से कि वह अधिकारी अपना वेतन लेता है :

परन्तु प्राधिकारी सदस्य को इस प्रकार भुगतान की गई भ्रम-राशि की केन्द्रीय सरकार को प्रति-पूर्ति करने की व्यवस्था करेगा ।

4. सेवा समाप्ति अथवा त्यागपत्र देने के लिए नोटिस की अवधि :—

- (क) कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित नोटिस देकर, जोकि 30 दिन से कम का न हो, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है ।
- (ख) केन्द्रीय सरकार कम से कम 30 दिन का नोटिस देने के पश्चात् किसी भी अंशकालिक सदस्य को, जोकि सरकारी कर्मचारी नहीं है, नियुक्ति को समाप्त कर सकती है ।

5. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति.—(1) प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को, जैसा कि वह उपयुक्त समझे एक बिशिष्ट अवधि के लिए, संविदा पर या सीधी भर्ती द्वारा या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारियों को प्रोन्नति द्वारा वा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन सेवारत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त कर सकता है :

परन्तु, सिवाय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के, 58 वर्ष की आयु प्राप्त किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका मूल वेतन 2500/— रुपये प्रतिमास या अधिक हो ।

(2) प्राधिकारी द्वारा प्रोन्नति से किसी भी पद पर नियुक्त अधिकारी उसी प्रकार के वेतन-मानों के हकदार होंगे जोकि ऐसे पदों के लिए विहित हैं और वे प्राधिकारी के विनियमों में समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों द्वारा अधिशासित होते रहेंगे ।

(3) प्राधिकारी द्वारा किन्हीं भी पदों पर सीधे भर्ती किए अधिकारी भी उसी प्रकार के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों द्वारा अधिशासित होंगे जोकि प्राधिकारी द्वारा ऐसे पदों पर प्रोन्नत अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

6. निधियों का विनिश्चय —प्राधिकारी अपनी निधियों का (अरक्षित निधि सहित) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति में विनिश्चय कर सकता है ।

[सं० ए०वी०-24013/3/71-ए० ए०]

नवजीवन खोसला, सहायक सचिव ।